स्मरण–पत्र

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453–230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23 5131 दिनांक 11-4-23

निमित्तः– अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड शाहबाद।
विषय :– जन पद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत डिकोनिया से तलावडा तक सडक निर्माण हेतु 7.5 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु।
Proposal no. FP/RJ/Road/6999/ 2014)
संदर्भः–इस कार्यालय पत्र कमांक 10114 दिनांक 22.9.22 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय का पत्र कमांक पत्र सं08बी/राज0/06/30/2015/एफ. सी/222 दिनांक 04.08. 2016 से प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में जारी बिन्दुओ की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटेकिंग सहित 5 सेट में इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु पूर्व में भी आपको इस कार्यालय का पत्र कमांक 10114 दिनांक 22.9.22 एवं पत्र से पत्र लिखा गया था परन्तु आज दिनांक तक भी आप द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित नही की गई है।

अतः अब निम्न बिन्दुओ पर संशोधित /नवीन पालना सहित सभी बिन्दुओं की पालना रिपोर्ट शीध्र प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

बिन्दु संख्या –2 के कम में राज्य सरकार द्वारा वेज रेट परिर्वतित होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरो में परिर्वतन हुआ है। 7.5 है0 क्षैत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु (198000 per ha x 7.5 ha = 1485000 लाख) रू केम्पा मद Online e- portal (https;//parivesh.nic.in/) जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे।

बिन्दु संख्या –4 के कम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0 जयपुर के पत्र कमांक 15–27 दिनांक 07.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि (7.5x 957780 lac=7183350 लाख) रूपये केम्पा मद Online e- portal (https;//parivesh.nic.in/) जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे।

बिन्दु संख्या– 9 के कम में भारत सरकार ,पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ,नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/ 2012 – एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(NGT) के निर्णय दिनांक 07. 11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृती की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें । ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

नोट–ःराज्य सरकार द्वारा वेज रेट परिर्वतित होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरो में परिर्वतन हुआ है वेज रेट 252 से @259 हो गई है। डिमांड नोट भी 259 की वेज रेट से ही बनाया गया है।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारा

Ar Pursue
20/4